न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट मोतीवाडा)

वाद संख्या :— 02/161/2010

<u>प्रभातीलाल बनाम कमला वगैरा</u>

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 22.06.2018

Web Copy - Not Official

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट मोतीवाडा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 27.09.2010 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 586/0.01, 587/0.19, 590/0.14, 591/0.12, 591/1829/0.16, 593/0.48, 594/0.24, 595/0.17, 604/0.25, 572/0.23, 572/1830/0.12, 585/0.33, 588/0.50, 596/0.32, 603/0.24 है. वाके ग्राम मोतीवाडा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 15.12.2010 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी पर किसी प्रकार कब्जा न करें तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण बाद सूचना तामील असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय नहीं आये उनकी तरफ से दिनांक 15.12.2010 को इकतरफा कार्यवाही हो चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 2010 से प्रचलन में है जिसे लगभग 8 वर्ष का समय हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 586/0.01, 587/0.19, 590/0.14, 591/0.12, 591/1829/0.16, 593/0.48, 594/0.24, 595/0.17, 604/0.25, 572/0.23, 572/1830/0.12, 585/0.33, 588/0.50, 596/0.32, 603/0.24 है. वाके ग्राम मोतीवाडा तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 27.09.2010 का प्रचलन दावे के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 कैम्प कोर्ट मोतीवाडा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट मोतीवाडा)